न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 77 / 2018

उनवान

1 सत्यनारायण पुत्र रामदयाल जाति भांबी नि. ग्राम नान्दला, नसीराबाद
—— वादी. :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार
2. कमला पत्नी रामदयाल
3. पूजा पुत्र रामदयाल जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :–   दिनांक :– 1.10.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के वंर्किग खसरा नम्बर 2833 रकबा 10–0–0 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वजो की खातेदारी / काश्तकारी की है। उपरोक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में वादी व परफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज हरजी पुत्र मादू के नाम खातेदारी दर्ज थी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2524, 2526 व 2529 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 2524 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35 व 2529 रकबा 0.10 का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी हरजी पुत्र मादू के नाम दर्ज है एवं हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है।
प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
—— वादी

—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में सत्यनारायण के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट व जॉच रिपोर्ट मय राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम नान्दला के वंर्किग खसरा नम्बर 2833 कुल रकबा 14–18–10 में से रकबा 10–0–0 वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज हरजी पुत्र मादू के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बर के चौसाला खसरा नम्बर 2463 मिन रकबा 14–18–10 में से 10–0–0 आराजी नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 2.2.83 से हरजी पुत्र मादू के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी हुयी। उक्त नामान्तकरण में अंकन किया गया है कि आवंटी ने समस्त आवंटन शर्तो की पालना की है एवं कब्जा काश्त है व 10 वर्ष पूर्ण हो चुके है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2524/1.16, 2526/0.35, 2529/0.10 हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी पर आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना व कब्जा काश्त होने के आधार पर विधिवत तरीके से गैर खातेदारी से खातेदारी दी गयी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादीगण का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के खातेदारी व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर नियमन के विरूद्व किसी भी न्यायालय में 14 (4) की कार्यवाही करने बाबत कोई अंकन नही है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में हरजी पुत्र मादू के नाम खातेदारी थी उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2524/0.80, 2526/0.35 पर तिल व 2529/0.10 पर बाजरा काश्त है। आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2524/1.16, 2526/0.35, 2529/0.10 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सत्यनारायण बनाम राज0 सरकार वगै

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 77/2018
पेश करने की दिनांक – 5.6.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2524/1.16, 2526/0.35, 2529/0.10 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 10 सन् 2018 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner